न्याय आपके द्वार अभियान 2018
शिविरः-- माण्डीगढ
दिनांक :-- 28.05.2018

स्व. केसा के का.मु. मांगीलाल इत्यादि **बनाम** राजस्थान सरकार

इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी

राजस्व ईजराय संख्या 01/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.05.2018	डिक्रीदार अनुपस्थित। मदयुनाम तहसीलदार देसूरी उपस्थित। डिक्रिदार ने प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर देसूरी के न्यायालय से राजस्व वाद संख्या 70/1989 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.1990 की कियान्वति के लिये ईजराय प्रस्तुत की गई। तहसीलदार देसूरी ने इस संबंध में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित किये 28 वर्ष की अवधि पार होने के पश्चात ईजराय प्रस्तुत की गई है। पारित निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से निर्णय एवं डिक्री में अंकित वादग्रस्त भूमि नवीन बन्दोवस्त से पूर्व के खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल अंकित किये है। जबकि तहसील देसूरी में नवीन भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात नवीन अभिलेख वर्ष 1987 में प्राप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पारित निर्णय एवं डिक्री का कियान्वयन वर्तमान अभिलेख में सम्भव नहीं होने से इजराय खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किये जाने के पश्चात प्रस्तुत इजराय खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी